दीपक सिंघल
प्रमुख सचिव

अर्धशा0प0संख्या-1503/16-27-सिं-2-48बाढ़/2015
उत्तर प्रदेश शासन,
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2
लखनऊः दिनांकः 31 मई, 2016

प्रिय महोदय,

आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य बाढ़ की विभीषिका से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले प्रदेशों में है। गत वर्षो के बाढ़ के अनुभव को देखते हुए यह नितान्त आवश्यक है कि प्रतिवर्ष की भांति वर्ष 2016 की संभावित बाढ़ के सम्बन्ध में भी सुरक्षा हेतु समुचित तैयारियां अभी से कर ली जाए।

इस सम्बन्ध में आपका ध्यान निम्नलिखित तथ्यों की ओर विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है :-

(1) बाढ़ से प्रभावित अतिसंवेदनशील/संवेदनशील स्थलों का चयन तत्काल किया जाए तथा इन स्थलों पर परियोजना बनाकर तकनीकी समितियों से अनुमोदन के उपरान्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। अतिसंवेदनशील सभी कार्य वर्ष 2016 के वर्षाकाल से पूर्व अवश्य पूर्ण करा लिये जाए।

(2) गत वर्ष 2015 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त अतिसंवेदनशील/संवेदनशील बन्धों पर तत्काल सक्षम स्तर से परियोजनाए स्वीकृत करा ली जाएं तथा इन बन्धों पर विशेष ध्यान देकर क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत वर्ष 2016 के वर्षाकाल से पूर्व करा ली जाए। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता मान्य नहीं होगी, विशेष तौर से ए0पी0 तटबन्ध, तुर्तीपार श्रीनगर तटबन्ध, बलिया बैरिया तटबन्ध, विक्रमजोत धुसवा तटबन्ध, सकरौर भिखारीपुर तटबंध, एल्गिन चरसरी तटबंध, बेलहा बेहरौली तटबन्ध, रेवली आदमपुर बन्ध, उसावां तटबन्ध, गंगा महावा बन्ध, उसहैत तटबंध, लालपुर धनौरी बन्ध, दढ़ियाल तटबन्ध, लालपुर रोहेला तटबंध व कड़क्का तटबंध को विशेष प्राथमिकता के आधार पर निरीक्षण कर ठीक करा लिया जाए।

(3) जिन परियोजनाओं का कार्य वर्षाकाल से पूर्व होना आवश्यक है, उनको प्राथमिकता के आधार पर पूरा करा लिया जाए। शेष परियोजनाओं पर इस ढंग से कार्य किया जाए कि सम्भावित वर्षा बाढ़ से उन्हें कोई क्षति न हो तथा जो कार्य कराये जाएं उनसे बाढ़ नियंत्रण में सहायता मिले।

(4) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करके सुनिश्चित किया जाए कि बाढ़ में सुरक्षा से सम्बन्धित सभी आवश्यक कार्य समय से पूर्ण हो जाए।

(5) लखनऊ व अन्य प्रमुख शहरों के जलमग्न क्षेत्र से जल की निकासी हेतु विभाग के पास उपलब्ध पम्प सेटों को चालू हालत में रखना सुनिश्चित किया जाए।

(6) बाढ़ फोरकास्टिंग की समुचित व्यवस्था की जाए।

(7) शासनादेश संख्या- 1371एफ/87-23-सिं-6-40बाढ़/87, दिनांक 21.04.1987 में दिए गए निर्देशों एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए जाए निर्देशों के अनुसार बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यो के लिए आवश्यक बोल्डर्स, जिओ बैग्स (Geo Bags), ईसी बैग्स (E/C Bags), बल्ली, खूंटा, कुल्हाड़ी, रस्सा तथा सुरक्षित स्थानों पर मिट्टी की समुचित मात्रा एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों का समय से समुचित प्रबन्ध कर लिया जाए।

(8) विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित ड्रेनों की सफाई समयबद्ध ढंग से करायी जाए और इस हेतु बनाए गए कार्यक्रम की प्रगति की सूचना जिला सिंचाई बन्धु के सदस्यों, मा0 जनप्रतिनिधिगण एवं जिलाधिकारी को भी दी जाए।

प्रदेश में सम्भावित बाढ़ के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि अपने-अपने परिक्षेत्र से सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता बाढ़ कार्यो के समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे।

मुख्य अभियन्ता (98P/), P. A

1/6

यह अपेक्षा की जाती है कि विभाग सभी आवश्यक तैयारियाँ समय से पूरी कर लेगा तथा विभाग के समस्त अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें कि बाढ़ आने की दशा में प्रदेश में कम से कम असुविधा हो, जन एवं धन की हानि न हो तथा बन्धे क्षतिग्रस्त न हों।

भवदीय

(दीपक सिंघल)

1- श्री सी0के0वर्मा,
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- श्री सी0डी0राम
प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0),
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3- समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
उत्तर प्रदेश द्वारा प्रमुख अभियन्ता

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रिय महोदय,

उपर्युक्त की प्रति आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि सम्भावित बाढ़ 2016 में आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु अपने स्तर से समुचित एवं सामयिक व्यवस्था सुनिश्चित करें।

भवदीय

(दीपक सिंघल)

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रिय महोदय,

उपर्युक्त की प्रति आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(दीपक सिंघल)

1- श्री सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

2. श्री अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

2/5/16